2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डा.रघुबाला बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर/भोपालगढ) सू.अ.अ. संख्या 62/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ रघुबाला पत्नी लोकपालसिंह निवासी हाल ए–2, पुलिस क्वाटर महिला थाने के पीछे, चित्रकूट नगर, भुवाणा, उदयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.03.2017 में उसके द्वारा (1) श्री कुमेरदान पुत्र भोमदान, श्रीमती सीता कुंवर पत्नी कुमेरदान, नरेन्द्रसिंह पुत्र कुमेरदान, लोकपालसिंह पुत्र कुमेरदान, श्रीमती कंचन कुंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह व सुश्री मेघणा पुत्री नरेन्द्रसिंह सभी जाति चारण निवासी गांव बासनी बुधा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल मं.नं. 365 बी, मोहननगर बी.जे.एस. रोड. नं. 10 जोधपुर की अचल सम्पति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर/भोपालगढ) को प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर/भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है तथा तहसीलदार भोपालगढ ने जरिये पत्रांक 256 दिनांक 05.05.2017 के रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें बतलाया कि श्री कुमेरदान पुत्र भोमदान वगैरा सभी जाति चारण निवासी गांव बासनी बुधा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर के सन्दर्भ में तहसील कार्यालय के पत्रांक 166 दिनांक 03.03.17 के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बासनी बुधा की जमाबंदी सम्वत् 2059 से 2062 खाता सं. 21 की प्रमाणित प्रति भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में विधिक प्रावधानों के तहत देय सूचना उपलब्ध करावे। आदेश सुनाया गया तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वस्तुस्थिति से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।	